CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of articles 59, 66, etc.)

SHRI S. C. SAMANTA (Tamluk): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI S. C. SAMANTA: I introduce the Bill.

INDIAN PENAL CODE (AMEND-MENT) BILL*

(Omission of section 309)

SHRI S. C. SAMANTA (Tamluk): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1869.

MR. CHAIRMAN: The question is:..

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted. .

SHRI S. C. SAMANTA: I introduce the But.

15.49 Hrs.

COMPANIES (AMENDMENT) BILL —Contd.

(Substitution of sections 293A, 324, etc.) by Shri Madhu Limaye

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further consideration of the motion moved by Shri Madhu Limaye on 4th August, 1967:

"That the Bill further to amend the Companies Act, 1956, be taken into consideration."

श्री सघु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, मंने जो विधेयक सदन के अन्दर विचारार्थ प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्व-पूर्ण विधेयक है।

SHRI A. K. KISKU (Jhargram): Sir, I was absent earlier. May I have your permission to introduce my Bill?

MR CHAIRMAN: We have moved to the next item on the agenda. Sorry, we cannot go back. You have to be more vigilant.

श्री सभू लिसये : सभापित महोदय, मैं कह रहा था कि मैं ने जो विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महत्व-पूर्ण विधेयक है। उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से में वर्तमान कम्पनी कानून के तहत कम्पनियों को राजनीतिक दलों और संस्थाओं को अपने मुनाफे में से कुछ रकम चन्दे के रूप में देने की जो इजाजत दी गई है उस का विरोध किया गया है और उस धारा को कम्पनी कानून हटाने के लिये प्रस्ताव किया है।

इस विधयक के दूसरे हिस्से में मैंने मैनेजिंग-एजेन्सी की प्रथा को तत्काल समाप्त करने का सुझाव दिया है। ये दोनों सवाल बहुत-ही अहम हैं। कम्पनियों के द्वारा राजनीतिक दलों को जो चन्दा दिया जाता है, उस के क्या खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं, उस की ओर बम्बई हाई कोर्ट के न्यायार्ध(शों ने कई साल पहले हम लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन मझे खेद के साथ कहना पड़ता है. कि दस ग्यारह साल हो गए, लेकिन अभी तक हम ने बम्बई हाई कोर्ट के जजों के द्वारा हमें दो गई मलाह पर गौर नहीं किया है। मैं बम्बई हाई कोर्ट के उस समय के जज. श्री एम० सी० चागला, श्री गजेन्द्रगढकर तथा श्रो व्यास के निर्णय का एक हिस्सा आप के सामने रखना चाहता हं। वे अपने निर्णय में कहते हैं:

It is our duty to draw the attention of Parliament to the great danger inherent in permitting companies to make contributions to the funds of political parties. It is a danger which may grow apace and which may ultimately overwhelm and even throttle democracy in this country. Therefore, it is desirable for Parliament to consider under what circumstances and under what limitations companies should be permitted to make these contributions...

कम्पनियों को यह जो अधिकार दिया गया है, उस का नतीजा यह हुआ है कि सत्तारूढ़ दल ने चन्दा इकट्ठा करने के लिए इस धारा

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 16-11-67.